संख्या-204 /2016/1657/22-4-16-48(70)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 27 दिसम्बर, 2016

विषय- केन्द्रीय कारागार, आगरा में 120 बंदी क्षमता की 02 नग बैरक सर्किलवाल सहित के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44573/नम-1/बैरक निर्माण/2016-17,दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, आगरा में 120 बंदी क्षमता की 02 नग बैरक सर्किलवाल सहित के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रू0 4,72,33,000/-(रूपया चार करोड़ बहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 95,00,000/- (रूपया पनचानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स समक्ष स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण, सक्षम लोकल अथारिटी से सवीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूचि दरों में सम्मिलित नहीं है, उनकी लागत का आंकलन बाजार दर, कोटेशन के आधार पर किया गया। विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(11) प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेने के पश्चात कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त दूसरी किश्त जारी की जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(12) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 204 /2016/1657(1)/22-4-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in